इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 जून 2013—ज्येष्ठ 14, शक 1935

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जून 2013

क्र. बी-11-7-2013-चौदह-2.—कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 13011/02/2008—क्रेडिट II (पीटी), दिनांक 10 फरवरी 2013 के द्वारा जारी प्रशासनिक अनुदेश खरीफ मौसम 2013 के द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन के द्वारा एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड् (AGRICULTURE INSURANCE COMPANY OF INDIA LIMITED)/ आईसीआईसीआई. लोंबार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (ICICI LOMARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED)/ एच.डी.एफ.सी.एग्रो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड (HDFC ERGO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED) के माध्यम से भारत सरकार द्वारा चयनित मध्यप्रदेश राज्य के ग्वालियर, दतिया एवं श्योपुर जिले में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ वर्ष 2013 के लिए निम्न अनुसार अधिसूचित की जाती है:—

2. मध्यप्रदेश राज्य में पायलेट आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ वर्ष 2013 के लिये जिले बीमा इकाई, अधिसूचित फसलें एवं बीमा कम्पनियों की सूची निम्नानुसार है:—

तालिका—1

क्र.सं.	जिले	मुख्य फसले	बीमा इकाई	कृषक श्रेणी	बीमा कम्पनी
1	ग्वालियर	धान, सोयाबीन, बाजरा	ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड.
2	दतिया	धान, मक्का	ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड.
3	श्योपुर	धान, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, तुअर.	ग्राम पंचायत/पटवारी हल्का	ऋणी और अऋणी कृषक	एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड.

जोखिम स्तर के निर्धारण हेतु स्वीकृत प्रक्रिया, थ्रेशहोल्ड उपज तथा वास्तविक प्रीमियम दरें संक्षेप में **परिशिष्ट—1** में वर्णित है.

3. अधिसूचित फसलवार जोखिम स्तर, बीमित राशि की सीमाएं एवं प्रीमियम की दरें **परिशिष्ट—2** में है.—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलेट) के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के स्थान पर क्रियान्वित की जावेगी, अत: यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की तरह सेवा शुल्क में छूट-प्राप्त है. पटवारी मुख्यालय/ग्राम पंचायतवार जानकारी **परिशिष्ट—3** में है.

4. **इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ वर्ष 2013 में निम्नानुसार किया जाएगा:—**

4.1 **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का निकास:**—जिन अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों हेतु संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है वहां पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित नहीं होगी.

4.2 **बीमा आवरण के लिए पात्र किसान:**—अधिसूचित क्षेत्रों की अधिसूचित फसलों को उगाने वाले बटाईदारों, काश्तकारों सहित सभी कृषक योजना में कवर किए जाने योग्य हैं. योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित वर्गों के कृषकों को कवर किया जाएगा:

(क) **अनिवार्य आधार पर :** सभी कृषक जो अधिसूचित फसल उगा रहे हैं और वित्तीय संस्थानों से दिनांक 31 जुलाई, 2013 तक साख सीमा अनुमोदित है, जो कि ऋणी कृषक है. ऋण आवेदन में कृषक द्वारा घोषित रकबा अथवा वास्तविक बोये गये क्षेत्र के आधार पर बैंक शाखा द्वारा बीमा योग्य फसलों का आवरण पृथक्-पृथक् दर्शाना होगा.

(ख) **ऐच्छिक आधार पर :** अधिसूचित फसल उगाने वाले वे सभी कृषक (जो कि अऋणी कृषक) जो इस योजना में आने की इच्छा रखते हैं, वे निम्नानुसार हो सकते है:

(1) स्वयं मालिक—जमीन जोतने वाले कृषक.

(2) ठेके पर खेती के अन्तर्गत सम्मिलित कृषक, प्रत्यक्ष अथवा प्रवर्तक/आयोजक के द्वारा.

(3) कृषक समूह/खाद कंपनी की सेवा समितियां, कीटनाशक फर्म, फसल उत्पादक संस्थाएं, स्व-सहायता समूह, गैर-सरकारी संगठन एवं अन्य.

(4) कारपोरेट फार्म.

4.3 **बीमा इकाई.**—अधिसूचित फसलों हेतु बीमा की इकाई ग्राम पंचायत रहेगी. अधिसूचित फसलों की वर्गवारी तथा बीमा की इकाई तालिका 1 में वर्णित है.

4.4 **प्रीमियम अनुदान एवं प्रीमियम अनुदान की हिस्सेदारी.**—प्रीमियम दर की गणना वास्तविक आधार पर मानक प्रीमियम दर विधि (स्टैडर्ड प्रीमियम रेटिंग मेथेडोलोजी) का उपयोग कर की गई है. अनिवार्य आवरण अथवा थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक, ऋणी कृषक हेतु जो भी अधिक हो, और थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक अऋणी कृषकों को प्रीमियम में अनुदान दिया जावेगा. वास्तविक प्रीमियम (कुल) तथा कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि के अन्तर की राशि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा 50 : 50 के अनुपात में अनुदान के रूप में **परिशिष्ट—1** के अनुसार वहन किया जायेगा. (फसलवार, क्षेत्रवार ब्यौरा **परिशिष्ट—2** में दिया गया है.) साथ ही राज्य सरकार द्वारा बीमा कम्पनी को प्रीमियम राशि में अनुदान का हिस्सा अग्रिम तौर पर दिया जावेगा, जो कि मौसम के आरंभ में, जो न्याय-संगत अनुमान के आधार पर होगा.

4.5 **बीमित राशि की सीमाएं तथा आवरण**

4.5.1 **ऋणी कृषक (अनिवार्य आधार पर).**—(क) अनिवार्य आवरण : बीमित राशि व्यक्तिगत कृषक जो अधिसूचित फसल के लिए जोत के अन्तर्गत रकबें की घोषणा (हेक्टेयर में)/जैसे ऋण आवेदन में उल्लेखित किया गया तथा अनिवार्य आवरण बीमित राशि प्रति हेक्टेयर अधिसूचना के **परिशिष्ट—2** में दर्शाएं अनुसार रहेगी.

4.5.2 अऋणी कृषक (ऐच्छिक आधार पर).—जो कृषक अधिसूचित मौसम के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र की अधिसूचित फसल हेतु योजना में सम्मिलित होना चाहते हों और जो ऋणी कृषक के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए हों ऐसे कृषक एक प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम राशि के साथ नजदीकी बैंक शाखा अथवा अधिकृत चैनल पार्टनर अथवा बीमा कंपनी के बीमा मध्यस्थों के माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि के अंदर बीमा कर सकते हैं, किन्तु उस बैंक में कृषक का खाता होना आवश्यक है.

(क) **साधारण आवरण:** परिशिष्ट—2 के अनुसार थ्रेशहोल्ड उपज मूल्य तक साधारण आवरण माना जावेगा. कृषक द्वारा देय शुद्ध प्रीमियम दर परिशिष्ट—2 के अनुसार रहेगी. साधारण आवरण के अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा कृषक द्वारा प्रस्ताव पत्र में उल्लेख करना होगा.

4.6 **मौसम अनुशासन**.—खरीफ 2013 मौसम के अन्तर्गत विभिन्न फसलों हेतु मौसम अनुशासन (अंतिम तिथियां) निम्नानुसार लागू रहेगी:

गतिविधि	अंतिम अवधि/तिथि
अनिवार्य आवरण के अन्तर्गत ऋणी कृषकों के लिए ऋण अवधि (अनुमोदित ऋण)	31 जुलाई 2013 तक
बैंक/समितियों द्वारा अऋणी कृषक के प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2013
बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से ऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	30 सितम्बर 2013
बीमा कंपनी द्वारा बैंकों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2013
बीमा कंपनी द्वारा मध्यस्थों से अऋणी कृषक के घोषणापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31 जुलाई 2013 तक
औसत उपज के आंकडे प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राथमिक तौर पर अंतिम फसल कटाई से एक माह के भीतर.

4.7 **आवरण प्रक्रिया**

4.7.1 **ऋणी कृषक (अनिवार्य बीमा)**.—वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत प्रयोग हो रही नोडल बैंक पद्धति का प्रयोग संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिये भी किया जायेगा. सभी वाणिज्यिक बैंक (निजी बैंकों सहित), जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक जो कि अधिसूचित मौसम में अधिसूचित फसल के लिये अधिसूचित बीमित इकाई क्षेत्र में फसल ऋण स्वीकृत/ वितरित कर रहे हैं वह सभी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से बीमा करें.

ऋणी कृषकों के लिये परिचालन पद्धतियां वर्तमान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुसार रहेगी. सभी बैंक किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिये वितरित फसल ऋण का बीमा अनिवार्य रूप से मौसम अनुशासन के अनुसार करेंगी.

सभी फसल ऋण वितरित करने वाली बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिये एक प्रीमियम रजिस्टर तैयार करेंगे जिसमें कृषक का नाम, फसल ऋण खाता संख्या, फसलवार बीमित क्षेत्र, फसलवार अनिवार्य बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि का उल्लेख करेंगे.

बैंक शाखा बीमा के लिये अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल के लिये कृषक द्वारा ऋण आवेदन-पत्र में घोषित रकबा अथवा कृषक द्वारा वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल का प्रयोग किया जायेगा.

वह ऋणी कृषक जो अनिवार्य बीमित राशि से अधिक का बीमा आवरण चाहते हैं, ऐसे कृषकों के लिये बैंक द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर में फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं अतिरिक्त आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि तथा फसलवार बीमित क्षेत्र, बीमित राशि एवं विस्तरित बीमा आवरण अन्तर्गत प्रीमियम राशि का अलग से उल्लेख किया जायेगा.

बैंक शाखा द्वारा तैयार किये गये प्रीमियम रजिस्टर के आधार पर बैंक शाखा उस माह में स्वीकृत फसल ऋण का एक मासिक संगठित ब्यौरा तैयार करेंगी जिसमें फसलवार, बीमित इकाईवार फसल बीमा की जानकारी, बीमा प्रीमियम राशि के साथ अपने नोडल बैंक कार्यालय को 15 दिनों के अंदर भेंज देंगे.

बैंक शाखा/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति बीमा प्रीमियम कंपोनेंट जो कि संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में बीमा प्रीमियम भुगतान हेतु आवश्यक है, कृषक को स्वीकृत ऋण सीमा से अतिरिक्त ऋण वितरण करेंगे.

ऐसे फसल ऋण जो कि सोना/आभूषण के बदले में लिये गये हैं, अधिसूचित क्षेत्र व फसल के लिये है, तथा मौसम अनुशासन का पालन करते हैं, वह भी योजनान्तर्गत अनिवार्य बीमा आवरण के लिये पात्र हैं.

ऋणी कृषक के लिये बीमित राशि कृषक द्वारा घोषित जोत के अन्तर्गत अधिसूचित फसल के लिये रकबा (हेक्टेयर में) एवं अधिसूचना के परिशिष्ट—2 में दर्शायी गई अनिवार्य बीमित राशि के गुणांक के बराबर होगी.

नोडल बैंक कार्यालय बैंक शाखाओं/प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से प्राप्त जानकारी को माहवार, अधिसूचित क्षेत्रवार, फसलवार, घोषणा-पत्र तैयार कर बीमा कंपनी को प्रीमियम राशि के बैंक चेक/ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अधिसूचना में घोषित फसलों एवं मौसम की अंतिम तिथियों के अनुरूप ऋणी कृषकों के घोषणा-पत्र प्रेषित करेंगे.

अतिरिक्त/विस्तरित आवरण वाले घोषणा-पत्रों को अधिसूचना के अनुसार घोषित अऋणी कृषकों की अंतिम तिथियों के अंदर ही बीमा कंपनी द्वारा स्वीकार किया जायेगा.

4.7.2 **अऋणी कृषकों के लिये आवरण प्रक्रिया.**—1.अऋणी कृषक का अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक/वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में बचत खाता होना अनिवार्य है.

2. अऋणी कृषक द्वारा पूर्ण रूप से भरा प्रस्ताव-पत्र, भूमि स्वामित्व के दस्तावेज की प्रतिलिपि एवं अपेक्षित प्रीमियम राशि बैंक में जमा करनी होगी. अऋणी कृषक को बीमित फसल का उगाई प्रमाण-पत्र संबंधित जिले के राजस्व/कृषि विभाग के अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा.

3. अऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा बैंकों के अलावा बीमा मध्यस्थ एवं बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट से करा सकते हैं.

4.8 **क्षतिपूर्ति के निर्धारण की विभिन्न पद्धतियां.**—बीमित फसल की क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नलिखित क्षतिपूर्ति पद्धतियों के आधार पर किया जायेगा जो कि योजना की परिचालन पद्धतियों (Operational Guidelines) के अनुरूप है.

4.8.1 **फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में (क्षेत्र आधारित).**—फसल कटाई के पश्चात् राज्य शासन द्वारा प्रस्तुत किये गये वास्तविक उपज के आंकड़ों के आधार पर. गंभीर आपदा होने पर 25 प्रतिशत तक की संभावित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान मौसम के दौरान किया जा सकता है.

4.8.2 **बुवाई नहीं हो पाने की स्थिति/बुवाई का फेल हो जाना** (Prevented Sowing/Sowing Failure) **(क्षेत्र आधारित).**—यदि प्रदेश/एस.एल.सी.सी.आई. (प्राथमिक मौसम संकेतकों के अनुमान, क्षेत्र गणना, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर) यह निर्णय लेती है कि बीमित इकाई के अधिकांश क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी या बुआई नष्ट हो गई तो ऐसी स्थिति में बीमित राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा. यदि इस आपदा के लिये क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाता है, तो तत्पश्चात् बीमा आवरण उस फसल हेतु आगे के मौसम के लिये समाप्त माना जायेगा.

यदि मौसम के दौरान लगभग पूर्ण क्षतिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न होती है. (किसी स्तर पर फसल चक्र की सम्पूर्ण लागत मूल्य को वहन नहीं किया गया हो) तो क्षतिपूर्ति का भुगतान graded scale के आधार पर किया जायेगा. चालू मौसम के दौरान क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जा सकता है यदि प्राथमिक मौसम संकेतकों से यह सिद्ध हो जाता है कि फसल की अपेक्षित उपज सामान्य उपज के 50 प्रतिशत से भी कम होगी.

4.8.3 **स्थानीय आपदाओं के मामले में क्षति का आंकलन.**—स्थानीय जोखिमों यथा ओलावृष्टि एवं भूस्खलन के मामलों में पृथक आधार (व्यक्तिगत आधार) पर क्षति संबंधी आंकलन किया जायेगा इन स्थानिक जोखिमों के कारण जिन बीमित किसानों को फसल की हानि होती है, वे वित्तीय संस्था/कार्यान्वयन एजेन्सी के क्षेत्रीय कार्यालय/जिला कृषि विभाग को तत्काल और अनिवार्य रूप से 48 घंटे के अंदर बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति के कारण सहित सूचित करेंगे. हानि संबंधी सूचना मिलने पर कार्यान्वयक एजेन्सी फसल की हानि का अनुमान लगाने के लिये क्षेत्र में हानि निर्धारक/Technical Personnel of the Company, को भेजेगी. ग्राम पंचायत में कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग फसल की हानि की मात्रा का अनुमान लगाने में कार्यान्वयक एजेन्सी की सहायता करेगा.

4.9 **बैंकों के लिये सेवा शुल्क.**—नोडल बैंकों को कृषक द्वारा प्रेषित प्रीमियम राशि पर 2.50 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान बीमा कम्पनी के द्वारा किया जायेगा.

4.10 **विभिन्न एजेन्सियों की भूमिका**—विभिन्न एजेन्सियों जैसे राज्य शासन, नोडल बैंक, बीमा कंपनी एवं कृषकों की भूमिका एवं दायित्वों का विवरण भारत सरकार द्वारा जारी योजना की परिचालन पद्धतियों में दिया गया है. आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड/एच.डी.एफ.सी. एर्ग्रो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को बीमे की कार्यवाही ए.आई.सी. के अनुरूप बैंकों के माध्यम से करना होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

परिशिष्ट-1

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS): क्षतिपूर्ति स्तर की गणना, थ्रेशहोल्ड उपज, वास्तविक प्रीमियम दर एवं प्रीमियम अनुदान की गणना की गणना के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी

(1) **क्षतिपूर्ति स्तर.**—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित किये गये जोखिम के तीन स्तर 70, 80 एवं 90 प्रतिशत है जो कि उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम को दर्शाते हैं. योजना के अन्तर्गत सुधारित विशेषताएं तथा बीमांकक द्वारा दिये गये सुझाव के आधार पर क्षतिपूर्ति स्तर हानि मूल्य (कुल क्षतिपूर्ति जो कुल बीमित राशि का प्रतिशत है) का आंकलन किया जायेगा जोखिम स्तर का निर्धारण जिले की फसल की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के बिखराव (variability) आंकड़ों के आधार पर होगा.

(2) **थ्रेशहोल्ड उपज.**—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में यह प्रावधान है कि किसी फसल के लिये थ्रेशहोल्ड उपज या गारन्टीड उपज पिछले सात वर्षों की औसत उपज के आंकड़ों के आधार पर जिनमें से अधिकतम दो वर्ष जहां पर सरकार/ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित की गई हो, को छोड़कर क्षतिपूर्ति स्तर से गुणा कर निकाली जाएगी. हालांकि यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम पिछले पांच वर्षों के उपज के आंकड़ें थ्रेशहोल्ड उपज की गणना के लिये उपलब्ध हो. संशोधित रा.कृ.बी.यो. में यह प्रावधान है कि मुख्य फसलों के लिये बीमा इकाई गांव/ग्राम पंचायत होगी. हालांकि ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहां गांव/ग्राम पंचायत स्तर के विगत वर्षों के उपज के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. ऐसी स्थिति में गांव/ग्राम पंचायत स्तर पर थ्रेशहोल्ड उपज की गणना के लिए उच्च बीमा इकाई अथवा उच्च बीमा इकाई एवं गांव/ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ों का संयुक्त औसत जहां पर गांव/ग्राम पंचायत स्तर के कुछ वर्षो के आँकड़े उपलब्ध हैं. उपरोक्त के अनुसार उपज प्राप्त होने पर थ्रेशहोल्ड उपज की गणना जोखिम स्तर से गुना कर की जावेगी.

(3) **वास्तविक प्रीमियम दर**—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत वास्तविक प्रीमियम दर की गणना अनुभव मूल्यांकन तथा विगत 10 वर्षों के क्षतिपूर्ति अनुभव के आधार, यदि ऐसा होने पर की जावेगी. शुद्ध प्रीमियम दर की गणना योजनान्तर्गत विभिन्न अतिरिक्त लाभ के अलावा क्षतिपूर्ति अनुभव, यदि ऐसा होने पर का समायोजन करते हुए की जावेगी एवं कारोबार व्यय, वित्तीय लागत, पुनर्बीमा आदि पर होने होने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए वास्तविक एवं वाणिज्यिक प्रीमियम दर की गणना की गई है.

(4) **प्रीमियम अनुदान की गणना.**—संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत कृषक को प्रीमियम अनुदान निम्न तालिका अनुसार किया जावेगा.

क्र.	प्रीमियम स्तर	कृषकों को प्रीमियम अनुदान
1	2 प्रतिशत तक	नहीं.
2	> 2 से 5 प्रतिशत	40 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 2 प्रतिशत
3	> 5 से 10 प्रतिशत	50 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 3 प्रतिशत
4	> 10 से 15 प्रतिशत	60 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 5 प्रतिशत
5	> 15 प्रतिशत	75 प्रतिशत किन्तु नेट प्रीमियम का न्यूनतम 6 प्रतिशत

नेट प्रीमियम से अभिप्राय है कृषक द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम दर जो कि प्रीमियम अनुदान का हिस्सा निकालने के बाद शेष बची राशि होगी.

परिशिष्ट–2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट)-खरीफ 2013 क्रियान्वयन एजेन्सी :—एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तहसील, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-जिला-ग्वालियर क्षतिपूर्ति स्तर-70-%

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक)					
अधिसूचित फसलें	तहसील	बीमित राशि (रुपये/हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
धान सिंचित	ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिन्नौर	26394	4.00%	2.40%	1.60%
सोयाबीन	ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिन्नौर	23636	5.00%	3.00%	2.00%
बाजरा	ग्वालियर, डबरा, भितरवार, चिन्नौर	12178	4.00%	2.40%	1.60%

टीप.—ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि स्वीकृत/पूर्ण वितरित ऋण राशि के बराबर होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

परिशिष्ट-2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट)-खरीफ 2013 क्रियान्वयन एजेन्सी :—आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तहसील, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-जिला-दतिया क्षतिपूर्ति स्तर-70%

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक)

अधिसूचित फसलें	तहसील	बीमित राशि (रुपये/हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
मक्का	दतिया, सेवढ़ा, इन्दरगढ़, भाण्डेर	8434	1.80%	1.80%	0.00%
धान सिंचित	दतिया, सेवढ़ा, इन्दरगढ़, भाण्डेर	10780	2.70%	2.00%	0.70%

टीप.—ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि स्वीकृत/पूर्ण वितरित ऋण राशि के बराबर होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

परिशिष्ट-2

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (पायलट)-खरीफ 2013 क्रियान्वयन एजेन्सी :—एच.डी.एफ.सी.एग्रो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड तहसील, बीमित राशि एवं प्रीमियम दर-जिला-श्योपुर क्षतिपूर्ति स्तर 70%

सामान्य आवरण प्रति हेक्टेयर (थ्रेशहोल्ड उपज के मूल्य तक)

अधिसूचित फसलें	तहसील	बीमित राशि (रुपये/हेक्टेयर)	वास्तविक प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	कृषकों द्वारा देय प्रीमियम दर (प्रतिशत में)	राज्य एवं केन्द्र शासन द्वारा देय प्रीमियम (प्रतिशत में)
धान सिंचित	श्योपुर, बड़ोदा, कराहल, बीरपुर, विजयपुर.	19250	2.95%	2.00%	0.95%
सोयाबीन	श्योपुर, बड़ोदा, कराहल, बीरपुर, विजयपुर.	13465	3.20%	2.00%	1.20%
मक्का	श्योपुर, बड़ोदा, कराहल, बीरपुर, विजयपुर.	5732	3.40%	2.04%	1.36%
बाजरा	श्योपुर, बड़ोदा, कराहल, बीरपुर, विजयपुर.	11293	3.50%	2.10%	1.40%
तुअर	श्योपुर, बड़ोदा, कराहल, बीरपुर, विजयपुर.	10857	13.00%	5.20%	7.80%

टीप.—ऋणी कृषकों के लिये बीमित राशि स्वीकृत/पूर्ण वितरित ऋण राशि के बराबर होगी एवं उस पर कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर लिया जाएगा.

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

	खरीफ		वर्ष	2013-	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित					
	तहसील	रा.नि.म.	पटवारी	पटवारी	धान सिंचित	धान	सोयाबी	तुअ	मक्का	बाजरा
दतिया										
	ईन्दरगढ़									
		धीरपुरा								
			43	रूरूआराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			45	देगवांगुर्जर	धानसिंचित					
			47	कटापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		ईन्दरगढ़	24	ईन्दरगढ़	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	सेवढ़ा	थरेट	30	परसौदाबामन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			31	ग्रडौखरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			32	मलियापुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			33	भगुवापुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	दतिया	उदगुवां	32	जिगना		-	-	-	मक्का	-
			47	खमेरा		-	-	-	मक्का	-

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

मौसम	खरीफ		वर्ष	2013-2014	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची					
जिला	तहसील	रा.नि.म.का नाम	पटवारी हल्का न.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
ग्वालियर										
	ग्वालियर									
		गुठीला							-	बाजरा
			00100	गिरगांव		-	-	-	-	बाजरा
			00101	बरेठा		-	-	-	-	बाजरा
			00103	गुठीला		-	-	-	-	-
			00110	बैहटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00111	जहांगीरपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
			00106	पाररोल		-	-	-	-	बाजरा
			00104	बहादुरपुर		-	-			
		घाटीगांव							-	बाजरा
			00015	आरोन			-	-	-	बाजरा
			00016	चैत		-	-	-	-	बाजरा
			00018	सिमरियाटांका		-	-	-		
			00019	महारामपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00020	सिरसा		-	-	-	-	बाजरा
			00022	पार		-	-	-	-	बाजरा
			00023	पनिहार	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
		मुरार								
			00098	भदरौली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00097	चक रायपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00095	जलालपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00096	जग्हार	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
			00085	रौरा		-	-	-	-	बाजरा
			00086	बस्तरी		-				
		मोहना								-
			00008	मोहना	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00009	उम्मेदगढ		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00010	बन्हेरी		-	-	-	-	बाजरा
			00011	करही		-	-	-	-	बाजरा
			00014	समराई		-	-	-	-	बाजरा
			00001	बागवालागांव		-	-	-	-	बाजरा
			00002	उखोदा		-	-	-	-	-
			00006	सहसारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	बडागांव	धानसिंचित	-	-	-	-	
		रायरू								
			00047	मालनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	पुरानी छावनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00048	मिलावली	धानसिंचित	-	-	-	-	बाजरा
			00049	बरौआ मूरावाद	धानसिंचित	-	-	-	-	
			00 50	सुसेरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00051	रायरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			0052	रुद्रपुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		सुपावली								बाजरा
			00121	सुपावली		-	-	-	-	बाजरा
			00125	बिजोली		-	-	-	-	
	चिनोर									
		आंतरी								बाजरा
			00003	बडेरा भारस		-	-	-	-	बाजरा
			00004	आंतरी		-	-	-	-	बाजरा
			00005	ऐराया		-	-	-	-	-
			00006	कछौआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	भरथरी		-	-	-	-	-
			00009	पुरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00010	बडकी सराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00012	पिपरौ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	भैंगना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	कैथी	धानसिंचित	-	-	-	-	

			00015	खिशनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	भोरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00001	अमरौल		-	-	-	-	बाजरा
			00011	खैरवाया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		चिनोर								
			00030	मेहगांव	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	सिरसुला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	किशोरगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	चीनोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	ररूआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00035	घरसोंदी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00036	नौन की सराय	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00037	मैना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	दौनी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00039	दौलतपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	पचौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	पुरावनवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00025	ककरधा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00028	करहिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00029	ईटमा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	डबरा									
		छीमक								
			J0065	चितावली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00066	महाराजपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00067	रजियावर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00068	आकबई छोटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00069	छीमक	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00071	खेड़ीरायमल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00073	देवरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00062	लोहगढ		-	-	-	-	-
			00078	झाडौली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00079	करियावटी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00083	विजकपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00084	भैंसनारी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	मगरौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00063	बरौठा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00064	सालवई	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
		डबरा								
			00043	पठा पनिहार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	समूदन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	टेकनपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00046	बौना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00047	बेरू	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00048	चौंभो	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00049	खडवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00050	बारोल	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00038	अरूसी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	सरनागत	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	सुल्तानपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00051	इटायल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00052	सिमरियाताल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00055	गेडौलकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00056	डबरा ग्राम	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00059	कर्रा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		पिछोर								
			00029	बीरमढाना	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00030	आकबई बड़ी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	धई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	पिछोर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		चिलौआ								
			00001	कल्याणी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	चिरूली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
	भितरवार									
		देवरीकलां								
			00030	चिटोली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00031	हरसी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00032	बेलखेडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00033	घेवट	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	देवरीकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-

			00036	मस्तुरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00037	गधौटा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00038	पलायछा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00039	बनियातौर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00040	सहारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00041	आदमपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00043	खेड़ा भितरवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00022	थेला	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00023	खेड़ाटाका	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00024	रिठोदन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00025	स्याउ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00026	रिछारीकलां	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00028	बाजना		-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	मसाहरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00042	देवगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	मोहनगढ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	खडौआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		भितरवार								
			00001	सिंघारन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00002	गढाजर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00003	चरखा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00004	बरौआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00005	इकहरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00006	सोला खिरिया	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00008	बागवई	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00016	सासन	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	भितरवार	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	चिठोदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00019	श्यामपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00020	जौरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00021	रही	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	बन्हेरी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00009	बासोडी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00011	लुहारी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00013	बामरोल	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00014	केरूआ	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00015	गोहिन्दा	धानसिंचित	-	-	-	-	-

संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की सूची

					100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफलवाला चयनित फसलों का					
मौसम	खरीफ		वर्ष	2013-2014						
			पटवारी	पटवारी	धान सिंचित	धान	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
जिला	तहसील	रा.नि.म.का								
श्योपुर										
	कराहल									
		कराहल								
			00024	मोरायत		-	-	-	-	बाजरा
			00025	बासेड		-	-	-	-	बाजरा
			00026	सैराईपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00027	मेहरवानी		-	-	-	-	बाजरा
			00029	खिरखिरी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	बाढ		-	-	-	-	बाजरा
			00031	रानीपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00032	कराहल		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00033	पनवाडा		-	-	-	-	बाजरा
		गोरस								
			00006	चितारा		-	-	-	मक्का	-
			00010	गोठरा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		पेहला								
			00016	आवदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00034	पहैला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	ससवाडा		-	सोयाबीन	-	-	-
	बडोद									
		पाणडोला								
			00021	बावडीचापा		-	सोयाबीन	-	-	-
		बडौदा								
			00003	बहडावद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00004	कुहजापुर		-	सोयाबीन	-	-	-
			00005	बांसोद		-	सोयाबीन	-	-	-
			00006	अलापुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00007	उतनवाड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00008	हिरनीखेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00009	नारायणपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00010	लुहाड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00011	गलमान्या		-	सोयाबीन	-	-	-
			00012	पाण्डोली		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	पाण्डोला		-	सोयाबीन	-	-	-
			00014	लुड		-	सोयाबीन	-	-	-
			00015	फिलोजपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	तलावडा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00017	ढोढपुर	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00018	नयागांव	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00019	राडेप		-	सोयाबीन	-	-	-
			00020	मेखडाहेडी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00025	इन्द्रपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00026	प्रेमपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00027	ललितपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00028	उद्योतपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00029	राधापुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00030	कडायथा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00031	मकडावदाकलां		-	सोयाबीन	-	-	-
			00032	बोरदादेह		-	सोयाबीन	-	-	-
			00033	भिलवाडिया		-	सोयाबीन	-	-	-
			00034	महाराजपुरा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00035	रतोदन		-	सोयाबीन	-	-	-
	विजयपुर									
		अगरा								
			00002	अरोंद		-	-	-	-	बाजरा
			00004	अगरा		-	-	-	-	बाजरा
			00005	उमरीकलां		-	-	-	-	बाजरा
			00012	बैनीपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00015	इकलोद		-	-	तुअर	-	बाजरा
		गसवानी								
			00011	वडादाकलां		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00040	सारंगपुर		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00041	चिमलवानी		-	-	-	-	बाजरा
			00042	खारजान		-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	वढोस		-	सोयाबीन	-	-	-

			00044	सहसराम		-	सोयाबीन	-	-	-
			00045	फरारा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00046	गरावाड़ी		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00047	किजरी		-	-	-	-	बाजरा
			00048	नहरखेड़ा		-	सोयाबीन	-	-	-
		विजयपुर								
			00016	हल्लपुर		-	-	-	-	बाजरा
			00017	गढ़ी		-	-	-	-	बाजरा
			00021	लाडपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00023	विजयपुर		-	-	तुअर	-	बाजरा
			00024	सुनवई		-	-	-	-	बाजरा
			00025	बागरोद		-	-	-	-	बाजरा
			00027	गोहरा		-	-	-	-	बाजरा
			00029	दोर्द		-	-	-	-	बाजरा
			00031	गेवरा		-	-	-	-	बाजरा
			00032	काठोद		-	-	तुअर	-	बाजरा
			00034	गोहठा		-	-	तुअर	-	बाजरा
			00035	गांवडी		-	-	-	-	बाजरा
			00037	दाउदपुर		-	-	-	-	बाजरा
	वीरपुर									
		रघुनाथपुर								
			00001	दांतेटी		-	-	-	-	बाजरा
			00002	यलावनी		-	-	-	-	बाजरा
			00003	दर्राखुर्द		-	-	-	-	बाजरा
			00004	धनायचा		-	-	-	-	बाजरा
			00006	किन्नपुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00007	सुठारा		-	-	-	-	बाजरा
			00010	हिरापुरा		-	-	-	-	बाजरा
			00014	रघुनाथपुर		-	-	-	-	बाजरा
			00028	गोरेका		-	-	-	-	बाजरा
		वीरपुर								
			00012	रिझेटा		-	-	-	-	बाजरा
			00013	वरोली		-	-	-	-	बाजरा
			00015	घौरीवायडी		-	-	-	-	बाजरा
			00016	जमुर्दी		-	-	-	-	बाजरा
			00017	नदीगांव		-	-	-	-	बाजरा
			00018	घुघस		-	-	-	-	बाजरा
			00019	गोहर		-	-	-	-	बाजरा
			00020	जिमरछा		-	-	-	-	बाजरा
			00021	नितनवास		-	-	-	-	बाजरा
			00022	पांचो		-	-	-	-	बाजरा
			00024	वडागांव		-	-	-	-	बाजरा
			00025	वीरपुर		-	-	-	-	बाजरा
			00026	जाखेर		-	-	-	-	बाजरा
			00027	श्यामपुर		-	-	-	-	बाजरा
	श्योपुर									
		प्रेमसर								
			00015	लहचौडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00024	वनवाडा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00025	वडौदाराम	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00028	सोठवां	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00042	गोहेडा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00043	कवरसली	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00044	आसीदा	धानसिंचित	-	-	-	-	-
			00045	प्रेमसर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-
			00059	ढोंटी	धानसिंचित	-	-	-	-	-
		मानपुर								
			00001	खिरखिरी		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00003	हांसिलपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00004	वगदिया	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00002	ढोढर		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00005	धीरोली	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00006	सेमल्दा		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00007	लाडपुरा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00008	काशीपुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00009	मानपुर		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00010	जैनी	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00011	सेवापुर	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00012	जवासा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00013	तलावदा	धानसिंचित	-	सोयाबीन	-	-	-

			00014	दांतरदांकला	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	-
			00016	जावदेश्वर	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00017	बहरावदा		-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00018	मेवाड़ा	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00019	चककमुल्या	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00020	शंकरपुर	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00021	ठेगरूनावदा	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00022	ददनी	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	-
			00023	बगडुआ	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	-
		श्योपुर								
			00030	सोईकला	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00031	ज्वालापुर	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00032	नन्दापुर	धानसिचिंत	-	सोयाबीन	-	-	बाजरा
			00033	बधावजर्ग		-	सोयाबीन	-	-	-
			00037	कलारना	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00038	रायपुरा	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00039	नागदा		-	सोयाबीन	-	-	-
			00040	नगदी		-	सोयाबीन	-	-	-
			00061	मिठेपुरा	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00062	सेमल्दा हवेली	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00063	अजापुरा	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00064	हलगांवडावजर्ग	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00065	जानपुरा	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00066	मयापुर	धानसिचिंत	-	-	-	-	-
			00067	फतेहपुर	धानसिचिंत	-	-	-	-	-

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.